FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा मुकाम खैरथल–तिजारा **उनवान राहुल कुमार बनाम सरकार जर्ये थानाधिकारी शेखपुर अहीर किस्म– प्रा0 पत्र सुपुर्दगी आर.बी. एक्ट** मुकदमा नम्बर 15 / 21 / 2025

दा. दि. 12/02/2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2025	आज यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगार राहुल कुमार पुत्र मदनलाल निवासी गोकलपुर तहसील व जिला रेवाडी द्वारा जरिये अभिभाषक पेश किया। प्रार्थना–पत्र सुपुदर्गी की प्रति थानाधिकारी शेखपुर अहीर, पुलिस जिला भिवाडी को भिजवाई जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो पर बिन्दुवार टिप्पणी/जप्तशुदा पिकअप वाहन संख्या HR-47-F-6501 को सुपुर्दगी पर दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के क्रम में स्पष्ट अभिशंषा मय गोशवारा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 0026/2025 की प्रमाणित प्रति/फर्द जप्ती/फर्द सुपुर्दगी की प्रमाणित प्रति के साथ रिपोर्ट तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 19.02.2025 को पेश हो। जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा	
19/2/2025	आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण में चाही गयी रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना शेखपुर अहीर भिवाडी से पत्रांक परवाना — दिनांक 19/2/2025 के द्वारा प्राप्त हुई है। जो शामिल मिसल है। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि प्रार्थी 8,00,000/- आठ लाख रुपये की ताईदशुदा जमानतनामा/सुपुर्दगीनामा पेश कर देता है, तो निम्नलिखित शर्तों पर जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगार को सुपुर्दगी में दे दिया जावे। 1- सुपुर्दगार उक्त वाहन का बेचान/खुर्द-बुर्द नहीं करेगा।	

2- जब भी न्यायालय को उक्त वाहन की आवश्यकता होगी सुपुर्दगार अपने खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

— Pto —

वकील प्रार्थी द्वारा सुपुर्दनामा / प्रतिभूतिनामा पेश किया है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में श्री मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा द्वारा तहसीलदार कोटकासिम द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र 02 दिनांक 13/5/2025 की प्रति पेश की गयी है, जिसमें 10,00000/- दस लाख रुपये की हैसियत तसदीक की गयी है।

अत: प्रार्थी द्वारा पेश सुपुर्दनामा / प्रतिभूतिनामा तसदीक किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि० नं० HR47-F-6501 किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो नियमानुसार सम्बंधित सुपुर्दगीदार राहुल कुमार पुत्र मदनलाल निवासी गोकलपुर तहसील व जिला रेवाड़ी हाल गुणसार तहसील कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा को नियमानुसार सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना शेखपुर अहीर [illegible] को तहरीर जारी हो। प्रकरण में अब चूंकि जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में छोड़े जाने बाबत आदेश किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रकरण इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार हो नम्बर से कम की जावे बाद तकमील दाखिल दफ्तर रिकार्ड हो।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा